इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 567] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2022—आश्विन 26, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2022

क्र. 15686-260-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15 अक्टूबर, 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २६ सन् २०२२

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०२२

[दिनांक १५ अक्टूबर, २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १८ अक्टूबर २०२२ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, १९८४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०२२ है.

धारा १३ का संशोधन २. मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक १३ सन् १९८४) की धारा १३ में, उपधारा (२) में, शब्द

"वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो छह हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा", के स्थान पर, शब्द "वह प्रथम अपराध की दशा में, दस हजार रुपए तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में, बीस हजार रुपए की शास्ति से दण्डनीय होगा" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2022

क्र. 15686-260-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2022 (क्रमांक 26 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 26 of 2022

THE MADHYA PRADESH KASHTHA CHIRAN (VINIYAMAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2022

[Received the assent of the Governor on the 15th October, 2022; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 18th October, 2022.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Sanshodhan Adhiniyam, 2022.

Amendment of Section 13. 2. In section 13 of the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984 (No. 13 of 1984), in sub-section (2), for the words "he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to six thousand rupees, or with both", the words "he shall be punishable with penalty of ten thousand rupees in case of first offence and twenty thousand rupees in case of second or subsequent offence" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.